राजस्व अभिलेखागार
प्रतिलिपि अनुभाग
बदायूँ

नकल आदेश दिनांक 21-07-2011

न्यायालय परगनाधिकारी–बदायूँ(जनपद–बदायूँ)

वाद सं0 44 — धारा–143जमीं0वि0एवं भू0व्यव0अधि0
ग्राम–अतापुर — पर0 व तह0बदायूँ।
सरकार — बनाम — श्री हर प्रसाद [illegible]

निर्णय

प्रस्तुत वाद तहसीलदार,बदायूँ की आख्या दिनाँक 18.7.2011 के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर प्रारम्भ हुआ।

प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,राजस्व बदायूँ के तर्कों को सुना गया। जिनके द्वारा अपने तर्कों में कहा गया कि ग्राम–अतापुर के गाटा सं० 298/2.086 में से 1.157,299/रकबा1.038,299/रकबा1.038,300/0.123,301/0.126, 302 /1.083 हे0 के श्री हर प्रसाद ट्रस्ट आदि संक्रमणीय भूमिधर है। इस भूमि पर इन लोग कृषि कार्य नही कर रहे हैं बल्कि उसको अकृषिक प्रयोग में ला रहे हैं। यह भूमि आबादी के अन्दर है। जिसके कारण इसको अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या तहसीलदार,बदायूँ के द्वारा दी गयी है। अन्त में वादिनी के द्वारा भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,राजस्व बदायूँ के तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। जिससे विदित हुआ ग्राम–अतापुर के गाटा सं0 298/2.086 में से 1.157,299/रकबा1.038,299 रकबा 1.038 300/0.123,301/0.126, 302 /1.083 हे0 के श्री हर प्रसाद ट्रस्ट आदि संक्रमणीय भूमिधर है। इस भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। तहसीलदार,बदायूँ की आख्या दिनांक 18.7.2011 के अवलोकन से विदित हुआ कि ग्रा0 गाटा सं0 298/2.086 में से 1.157,299/रकबा1.038,299/रकबा 1. 038 300/0.123,301/0.126 302 /1.083 हे० पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है जिसके कारण इसको अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार,बदायूँ के द्वारा की गयी है। इस प्रकार भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि श्री हर प्रसाद ट्रस्ट आदि के द्वारा भूमि गाटा सं0 298/2.086 में से 1.157,299/रकबा1.038,299/रकबा 1. 038 300 0.123,301/0.126 302 /1.083 हे0 स्थित ग्राम अतापुर ,परगना व तहसील बदायूँ, अकृषक प्रयोग मे लाये जाने के कारण अकृषक घोषित किया जाता है। पत्रावली [illegible] अमल दरामद जारी करने के उपरान्त दाखिल दफ्तर होवे।

ह० 21/07/11
दिनाँक 21/07/2011 — (रजनीश चन्द्र)
परगनाधिकारी–बदायूँ।

आदेश हस्ता0 एवं दिनाँ0 कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

ह० 21/07/11
दिनाँक 21/07/2011 — (रजनीश चन्द्र)
परगनाधिकारी–बदायूँ।

Shivam 29-11-21

प्रतिलिपिक
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बदायूँ

प्रतिलिपि असल के तुल्य है।
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, [illegible]

नकल आदेश दिनांक 21-11-2011

न्यायालय परगनाधिकारी—बदायूँ (जनपद—बदायूँ)

08

धारा—143ज0वि0एव भू0व्य0अधि0
पर0 व तह0बदायूँ।

... सिंह बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद तहसीलदार,बदायूँ की स्व—प्रेरणा के आख्या दिनांक 17.11.2011 आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर प्रारम्भ हुआ ।

प्रश्नगत मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,राजस्व बदायूँ के तर्को को सुना गया । जिनके द्वारा अपने तर्कों में कहा गया कि ग्राम—अतापुर के गाटा स0 298/2.086 हे0 में से 0.929 हे0 के श्री हर प्रसाद सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हर प्रसाद सिंह पुत्र बाँके सिंह निवासी जवाहरपुरी सहसंकमणीय भूमिधर है। इस भूमि पर हम लोग कृषि कार्य नही कर रहे है बल्कि उसको अकृषिक प्रयोग में ला रहे है । जिसके कारण इसको अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या तहसीलदार,बदायूँ के द्वारा दी गयी है । ... के द्वारा भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

... अधिवक्ता,राजस्व बदायूँ के तर्कों को सुनने के ... पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया जिससे विदित हुआ ग्राम—अतापुर के गाटा स0 298/2.086 हे0 में से 0.929 हे0 के श्री हर प्रसाद सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हर प्रसाद सिंह पुत्र बाँके सिंह निवासी जवाहरपुरी सहसंकमणीय भूमिधर है। इस भूमि पर हम लोग कृषि कार्य नहीं कर रहे है बल्कि उसको अकृषिक प्रयोग में ला रहे हैं । जिसके कारण इसको अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या तहसीलदार,बदायूँ के द्वारा दी गयी है । इस प्रकार भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि श्री हर प्रसाद सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हर प्रसाद सिंह पुत्र बाँके सिंह निवासी जवाहरपुरी के द्वारा ग्राम—अतापुर के गाटा सं0 298/2.086 हे0 में से 0.929 हे0 को कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषक प्रयोग में लाये जाने के कारण अकृषक घोषित किया जाता है । पत्रावली परवाना अमल दरामद जारी करने के उपरान्त दाखिल दफ्तर होवे। आदेश की ... प्रति उप निबन्धक,बदायूँ को भेजी जाये।

ह0

दिनांक:21/11/2011

(रजनीश चन्द्र)
परगनाधिकारी—बदायूँ।

आदेश हस्ता0 एव दिनाँ0 कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

ह0

दिनाँक21/11/2011

(रजनीश चन्द्र)
परगनाधिकारी—बदायूँ।

अभिलेखागार लिपि अनुभाग ...

Shivam 29-11-20
प्रतिलिपिक
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बदायूँ

प्रतिलिपि असल के तुल्य है
29-11-20
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बदायूँ